न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–1, बरेली।

सरकार बनाम रनजीत

मु0अ0सं0 897/2019
धारा– 295ए, 332, 353, 427 भा0दं0सं0
थाना– बारादरी
जिला–बरेली।

दिनांकः– 07.08.2019

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आज प्रार्थी/अभियुक्त रनजीत की ओर से इस कथन से प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसा दिया गया है,। उसे जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये। अभियुक्त जेल में है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एफ0आई0आर0 व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। एफ0आई0आर0 में यह तथ्य आया है कि अभियुक्त द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, वर्दी फॉड दी, तथा सोल्डर नोच लिया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अत्यन्त गम्भीर व संज्ञेय प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मु0अ0सं0 897/2019 सरकार बनाम रनजीत अन्तर्गत धारा 295ए, 332, 353, 427 भा0दं0सं0 थाना बारादरी जिला बरेली में प्रार्थी/अभियुक्त रनजीत का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1 बरेली।